[2008] 10 एस.सी.आर. 668

बचन सिंह

बनाम

भारत संघ व अन्य

(सिविल अपील संख्या 3110/2004)

जुलाई 10, 2008

[सी.के. ठक्कर और लोकेश्वर सिंह पंत, जेजे]

सेना अधिनियम, 1950- धाराएं 63 और 109- अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार करने के आरोप पर न्यायालय का अभिमत- अपचारी अधिकारी को दोषसिद्ध किया गया और दो वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया- सेवा से भी बर्खास्त किया- दण्डादेश की पुष्टि की गयी- उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने रिट अधिकारिता के अन्तर्गत कोर्ट मार्शल को अपास्त किया- उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश को अपास्त किया- अपील में, अभिनिर्धारित किया : जनरल कोर्ट मार्शल में कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं थी- सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निष्पक्ष एवं समुचित रुप से विधिनुसार संचालित की गयी थी- उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा अपील में अभिलेख का सूक्ष्मता से परीक्षण करना उचित नहीं था- अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन निर्णय के विरूद्ध निर्देश नहीं है, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया

है- भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226- सेना नियम, 1954- नियम 23(1), (2), (3), (4) और 6.

अपीलार्थी को अधिनियम धारा 63 **के अन्तर्गत विचारण हेतु सक्षम प्राधिकारी के द्वारा सेना अधिनियम**, 1950 **की धारा** 109 **के अन्तर्गत एक जनरल कोर्ट मार्शल आहूत की गयी थी। अपीलार्थी के विरूद्घ यह अभियोग था कि उसने अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार की थी। कार्यवाही के समापन के बाद, अपीलार्थी को आरोप में दोषसिद्घ किया गया और दो वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया और सेवा से भी बर्खास्त कर दिया गया। पुष्टि प्राधिकारी द्वारा दण्डादेश की सम्पुष्टि की गयी। रिट पीटीशन में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने कोर्ट मार्शल और पश्चातवर्ती दण्डादेश की सम्पुष्टि को अपास्त किया। लेटर्स पेटेन्ट अपील में, उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने, एकल न्यायाधीश के आदेश को अपास्त किया। इस कारण यह अपील प्रस्तुत की गयी।**

न्यायालय ने अपील को खारिज करते हुए-

अभिनिर्धारित किया: 1.1. **उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा एकल न्यायाधीश के आदेश को अपास्त करना उचित था, जो जीसीएम के सुविचारित आदेश को अपास्त करना उचित नहीं था, जो कि तात्विक गवाहों के साक्ष्यों का उचित और निष्पक्ष विश्लेषण, उसके समक्ष**

अपीलकर्ता द्वारा स्वेच्छा से दिए गए बयान, अन्य सामग्री और पुष्टिकर्ता प्राधिकारी के पश्चातवर्ती आदेश पर आधारित था।[678-एफ.जी]

1.2. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश का इस निष्कर्ष पर पहुंचना पूर्णतः त्रुटिपूर्ण था कि जीसीएम द्वारा की गयी कार्यवाही सेना अधिनियम के प्रावधानों से असंगत थी और कोर्ट मार्शल का निष्कर्ष न्यायसंगत नहीं था। जीएसएम की कार्यवाही पूर्ण रुप से विशुद्घ रही जहां विचारण निष्पक्ष था और अपीलार्थी को मामले में अपनी प्रतिरक्षा का हर सम्भव अवसर प्रदत्त किया गया था। [681-डी,ई,एफ]

1.3. अपीलार्थी को साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण का पूर्ण अवसर प्रदत्त किया गया था किन्तु उसने इस अवसर का उपयोग नहीं किया। अपीलार्थी को इस आशय की चेतावनी दिये जाने के बावजूद कि वह कोई संस्वीकृति का कथन करने हेतु बाध्य नहीं है, अपीलार्थी ने लिखित में संस्वीकृति का कथन किया। अपीलार्थी ने साक्षीगण की उपस्थिति में साक्ष्य के प्रथम सारांश के साथ ही अतिरिक्त कथन किये। अभिलेख से यह प्रकट होता है कि द्वितीय अतिरिक्त साक्ष्य का सारांश सेना नियमों 23(1), 23(2), 23(3), 23(4) और 23(6) के अनुरूप था, जिसमें अपीलार्थी ने अपना दोष स्वीकार किया था। [680-जी,एच 681-ए,बी]

1.4. सेना अधिनियम की धारा 109 के अन्तर्गत, एक जीसीएम केन्द्र सरकार या सेना प्रमुख या सेना प्रमुख के वारंट से इस निमित्त सशक्त

किए गए किसी अधिकारी द्वारा आहूत किया जा सकता है। धारा 109 में सेना प्रमुख के लिए प्रत्येक विशिष्ट मामले के लिए वारंट जारी किया जाना आवश्यक नहीं है। इस अधिनियम के तहत जीसीएम आहूत करने हेतु एवं सामान्य वारंट धारा 109 के अन्तर्गत जारी किया गया, जिसके द्वारा 16 कोर की कमान सम्भालने वाले समस्त अधिकारीगण जो फील्ड आॅफीसर की रैंक से नीचे के रैंक के रैंक के न हो, को उसकी कमान के एेसे व्यक्ति के सैन्य विधि के अन्तर्गत विचारण के लिए जीसीएम आहूत करने के लिए सशक्त किया गया, जोकि सेना प्रमुख के विधिवत रुप से हस्ताक्षरित ए-1 वारंट द्वारा प्राधिकृत किया गया हो। वर्तमान मामले में, अधिनियम के तहत जीसीएम आहूत करने का आदेश साबित करता है कि जीसीएम सेना अधिनियम की धारा 109 के प्रावधान के अनुसार एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा आहूत की गयी है। जीसीएम के सदस्यों का चयन और नियुक्ति अधिनियम की धारा 113 के अनुपालन में की गयी थी। इस प्रकार उत्तरदाताआेंं ने विधिक आवश्यकताआेंं का पूर्ण रुप से पालन किया है।[679-ए,बी,सी] [680-बी,सी,डी]

2. विद्वान एकल न्यायाधीश के द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष और तर्क मामले के तथ्यों के उचित मूल्यांकन पर आधारित नहीं हैं और अपील में सुनवाई करते समय विद्वान एकल न्यायाधीश के लिए अभिलेख की सूक्ष्मता से जांच करना आवश्यक नहीं था। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में उच्च न्यायालय जीसीएम द्वारा अभिलिखित किए गए

निष्कर्षों पर अपील न्यायालय के रूप में सुनवाई नहीं कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 226 **के तहत न्यायिक समीक्षा निर्णय के विरुद्ध निर्देशित नहीं है बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया तक ही सीमित है। न्यायिक समीक्षा कोई अपील नहीं है बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया की समीक्षा है। न्यायालय केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया की शुद्धता पर निर्णय देता है, न कि निर्णय की शुद्धता पर। इस प्रकार, जीसीएम में कोई अनियमितता या अवैधता नहीं थी, जिसे सेना पदानुक्रम में बहुत उच्च रैंक रखने वाले अधिकांश योग्य सदस्यों द्वारा निष्पक्ष और उचित तरीके से संचालित किया गया था।** [682-**डी,ई,एफ,जी**]

भारत संघ और अन्य बनाम आईसी 14827 मेजर ए. हुसैन **एआईआर** 1998 **एससी** 577- **संदर्भित।**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 3110/2004

जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू द्वारा एल.पी.ए.सं. 284/1997 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 05.02.2002 से उत्पन्न।

डी.के. गर्ग, बी.एस., बिल्लोवारिया और पी.वी. योगेश्वरन, अपीलार्थी की ओर से।

पराग पी. त्रिपाठी, एएसजी, रेखा पाण्डे, वरूण सरनि (बी.वी. बलराम दास के लिए) और वी. कृष्णा प्रसाद, प्रत्यर्थीगण की ओर से ।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा पारित किया गया-

लोकेश्वर सिंह पंत, **न्यायाधिपति**. 1. बचन सिंह–अपीलार्थी जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खण्डपीठ जम्मू द्वारा उत्तरदाताओं की उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय दिनांक 20 नवंबर, 1996 के खिलाफ दायर एलपीए (एसडब्ल्यू) संख्या 284/97 को स्वीकार करने के निर्णय और आदेश 5 फरवरी, 2002 से व्यथित है, जिसके द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी द्वारा संस्थित एसडब्ल्यूपी नंबर 14-ए/1984 स्वीकार की और उसके खिलाफ आहूत जनरल कोर्ट-मार्शल को अपास्त कर दिया, जिसमें जनरल कोर्ट-मार्शल द्वारा उसके दण्डादेश की पुष्टि शामिल थी और अपीलकर्ता को नियमों के तहत सभी परिलाभों सहित आदेश पारित होने की तिथि पर उसे उसके पूर्ववर्ती पद पर वापस लिया गया है।

2. सेना अधिनियम, 1950 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत 4 जनवरी, 1982 को एक जनरल कोर्ट-मार्शल (जीसीएम) अधिनियम की धारा 109 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेना में डोगरा रेजिमेंट, सैकेण्ड बटालियन में सिपाही का पद धारण करने वाले अपीलार्थी के विचारण के लिए आहूत की गयी थी।

3. अपीलार्थी के विरुद्ध वे आरोप जिनके लिए वह जीसीएम द्वारा विचारण करने हेतु संदिग्ध था, वे थे:-

“संख्या 3973649A 2 डोगरा के सिपाही बचन सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह और श्री धर्म सिंह की दूसरी पत्नी श्रीमती ज्ञानो देवी के सौतेल पुत्र ग्राम परागवाल, तहसील अखनूर, जिला जम्मू (जेएण्डके) के निवासी हैं।

सिपाही बचन सिंह ने राजकीय लोअर हाई स्कूल, परागवाल में 9 वीं तक पढ़ाई की। वह 11 अक्टूबर 75 को डोगरा रेजीमेंट में मेरठ में सेना में भर्ती हुए थे। उनका विवाह श्रीमती वीना कुमारी पुत्री श्री दुर्गा सिंह निवासी ग्राम चरगरवार, तहसील जम्मू, जिला जम्मू (जम्मू एवं कश्मीर) से हुआ है। सिपाही बचन सिंह16 जनवरी 80 से 15 मार्च 80 तक वार्षिक अवकाश पर अपने गृह स्टेशन गांव परागवाल, तहसील अखनूर चले गए।

श्री बचन सिंह पुत्र श्री वरयाम सिंह ग्राम नजवाल, तहसील अखनूर, जिला जम्मू (जम्मू-कश्मीर) के निवासी है, जो की बचन सिंह से संबंधित ग्राम परागवाल से लगभग 3 कि.मी. दूर है। सिपाही बचन सिंह की सौतेली माता श्रीमती ज्ञानो देवी श्री रतन सिंह की माता श्रीमती विद्या देवी की छोटी बहन हैं।

फरवरी माह 80 के दौरान श्रीमती विद्या देवी सिपाही बचन सिंह के घर गई और उन्हें और उनकी पत्नी को अपने निवास पर आमन्त्रित किया। 12 मार्च 80 सितम्बर को बचन सिंह अपनी पत्नी श्रीमती वीना देवी और उनके तीन माह के पुत्र के साथ श्रीमती विद्या देवी के घर गये।

श्री रतन सिंह और सिपाही बचन सिंह ने उस रात देशी शराब पी। लगभग 2130 बजे श्री रतन सिंह और सिपाही बचन सिंह टहलने के लिए निकले और चलते-चलते सीमा पार कर पाक क्षेत्र में चले गए, जहां पोस्ट डेरा पर उनकी मुलाकात दो पाक एफआईयू कर्मचारियों से हुई। पाक यदि उसके पास अपना पहचान पत्र होता। सिपाही बचन सिंह ने अपना नाम नरिंदर सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह होना, उनकी यूनिट 16 जेएंडके एलआई मिजोरम स्थित होना बताया। जब वे उनके घर पर पहुंचे, तो पाक एफआईयू कर्मचारियों ने सिपाही बचन सिंह को 200/- रुपये दिये। अगले दिन, 13 मार्च 80, सिपाही बचन सिंह अपने परिवार के साथ अपने घर के लिए रवाना हुए।

15 मार्च 80 को सिपाही बचन सिंह ने अपनी यूनिट में फिर से शामिल होने के लिए अपने गांव परागवाल को छोड़

दिया। 15 मार्च 80 KO 1830 बजे सिपाहीबचन सिंह अपनी यूनिट, 2 डोगरा में पुनः कार्यभार ग्रहण कर लिया।

04 जुलाई 80 सितंबर को सिपाही बचन सिंह एक एस्कॉर्ट के तहत संयुक्त पूछताछ केंद्र साउथ सी/ओ डेट 4/290 संपर्क यूनिट सी/56 एपीओ में पूछताछ के लिए अस्थायी ड्यूटी पर 168 एएससी बीएन के लिए रवाना हुए और 10 अगस्त 80 को यूनिट में वापस लौट आए।''

कोर्ट-मार्शल आहूत करने का आदेश इस प्रकार है:-

"सेना अधिनियम के तहत जनरल कोर्ट मार्शल की सभा के लिए

आदेश का प्रपत्र IC-5095 पी मेजर जनरल महीपत सिंहजी कार्यवाहक जनरल ऑफिसर कमांडिंग 16 कोर के द्वारा आदेश

स्थान: मैदान दिनांक: 15 दिसंबर, 1981.

No.3973649 ए नीचे वर्णित अधिकारीगण दिसंबर 1981 के सोलवे

सिपाही बचन सिंह दिन जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा मैदान पर मार्जिन

2nd बटालियन द में नामित आरोपी व्यक्ति के विचारण के उददेश्य डोगरा से एकत्रित होंगे, जिन्हें उनके सामने लाया जाये (और ऐसे अन्य

व्यक्ति या व्यक्तियों का जिन्हें उनके सामने लाया जा सकता है)

पीठासीन अधिकारी के रूप में बैठने वाले वरिष्ठ अधिकारी.

सदस्यगण

आईसी-7757 एल ब्रिगेडियर तलवार हरजीत - कमांडर 191 इंफेन्ट्री ब्रिगेड

आईसी-12716 एल लेफ्टिनेंट कर्नल बोरकर, मुकंद नरसिन्हा- आॅफिसर कमांडिंग

1890 इण्डीपेन्डेण्ट लेफ्टिनेंट बीटीवाई।

आईसी-28737 एल मेजर वोहरा, सत्येन्द्र मोहन - 2 सिख

आईसी-25247 एम कैप्टन जगमाल सिंह - 37 मेड रेजीमेंट

आईसी-34139 के कैप्टन रंजीत बरकाकोटी - 81 आर्म्ड रेजीमेंट

प्रतीक्षारत सदस्यगण

आईसी-13474 ए लेफ्टिनेंट कर्नल बरार, सुरजीत सिंह- आॅफिसर कमांडिंग ईएमई बीएन 28

आईसी-24826 एम गिल मोहनजीत सिंह - 8 सीएवी

आईसी-35033 के कैप्टन हरि मोहन जोशी - 374 सिग रेजीमेंट

जज एडवोकेट

आईसी-36504 वाई मेजर देवस्थले जयंत कुमार – डीएजेएजी

मुख्यालय उत्तरी कमांड को जज एडवोकेट नियुक्त किया गया है

अभियोजक

आईसी-29015 एल मेजर वैलेंटाइन, जोसेफ मेल्विन - 9 मद्रास

अभियोजक नियुक्त किया गया है

आरोपियों को चेतावनी दी जाएगी, और सभी गवाहों को उपस्थित होना आवश्यक है।

कार्यवाही (जिनकी केवल तीन प्रतियां आवश्यक हैं) डीजेएजी मुख्यालय उत्तरी कमान के माध्यम से मुख्यालय, 16 कोर को अग्रेषित की जाएगी।

दिसंबर, 1981 के पन्द्रहवें दिन इस पर हस्ताक्षर किये गये।

एसडी/-

(आर.के. कश्यप)
लेफ्टिनेंट कर्नल

सहायक एड-जुटेंट जनरल,

कार्यवाहक जनरल ऑफिसर कमांडिंग 16''

आरोप पत्र इस प्रकार है:-

"आरोप पत्र

आरोपी नंबर 3973649 ए सिपाही बचन सिंह, 2nd बटालियन डोगरा रेजिमेंट पर आरोप लगाया गया है: -

धारा 63 सेना अधिनियम- एक अच्छी व्यवस्था और सैनिक अनुशासन के प्रतिकूल कृत्य

जिसमें उन्होंने,

12 मार्च 80 को गांव नजवाल (जम्मू-कश्मीर) में, उक्त गांव के श्री रतन सिंह पुत्र श्री वरयाम सिंह के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके पाकिस्तान में 'डेरा' पोस्ट पर गए।

एसडी/-

स्थान: मैदान (बलवंत सिंह)

दिनांक : 12 दिसंबर 81 मेजर

कार्यवाहक कमांडिंग ऑफिसर

2nd बटालियन डोगरा रेजिमेंट

जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा विचारण किया जाना

स्थान : मैदान एसडी/-

दिनांक : 12 दिसंबर 81 (आरके कश्यप)

लेफ्टिनेंट कर्नल

सहायक एड-जुटेंट जनरल

कार्यवाहक जनरल ऑफिसर कमांडिंग

16 कोर''

अधिनियम की धारा 63 इस प्रकार है :-

"**अच्छी व्यवस्था और अनुशासन का अतिक्रमण** - इस अधिनियम के अध्यधीन कोई व्यक्ति, जो किसी ऐसे कार्य या लोप का दोषी है जो, यद्यपि इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट

नहीं है तथापि अच्छी व्यवस्था और सैनिक अनुशासन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है, सेना-न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा।"

4. कार्यवाही के समापन के बाद, जीसीएम के 22 जनवरी, 1982 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता को आरोप का दोषी ठहराया गया और दो साल के कारावास से दण्डित किया गया और सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। अपीलकर्ता के खिलाफ पारित दण्डादेश की अधिनियम के तहत आवश्यक पुष्टिकर्ता प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की गई थी। अपीलकर्ता ने अपनी दोषसिद्ध और दण्डादेश को एसडब्ल्यूपी संख्या 14-ए/1984 में जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय, जम्मू में चुनौती दी थी, जैसा कि ऊपर बताया गया है, 20 नवंबर 1996 के आदेश द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा स्वीकार की गई थी। कोर्ट-मार्शल और सजा की पुष्टि को अपास्त करने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश ने जो आधार लिये उन्हें विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ से बताया जा सकता है, जो इस प्रकार हैं: -

"मैंने उस अभिलेख का अवलोकन किया जो आज मेरे सामने पेश किया गया था और जनरल कोर्ट मार्शल के समक्ष गवाहों द्वारा दिए गए बयानों का भी सरसरी तौर पर गौर किया है। एक भी गवाह ने गवाही नहीं दी है कि उसने

याचिकाकर्ता को कभी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करते हुए देखा था या उसके बारे में कोई जानकारी थी। वस्तुतः कोई साक्ष्य नहीं है। उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने साक्ष्य के सारांश से पहले आरोपी/याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए बयान पर दृढ़ता से विश्वास किया है। उनके अनुसार यह बयान स्वेच्छा से दिया गया था और इस पर सुरक्षित रूप से कार्रवाई की जा सकती है। मैं इस कारण से विद्वान अधिवक्ता से सहमत होने से इनकार करता हूं, क्योंकि साक्ष्य के सारांश से पहले दिए गए बयानों पर पहली बार में विश्वास नहीं किया जा सकता है। फिर भी मैंने जनरल कोर्ट मार्शल के समक्ष याचिकाकर्ता/आरोपी के बयान का अध्ययन किया है। उस बयान में, याचिकाकर्ता ने दृढ़ता से कहा है कि साक्ष्य के सारांश के दौरान उसके द्वारा दिया गया पिछला बयान पूछताछ के दौरान उस पर बल प्रयोग का परिणाम था। उसने इस बयान को अपना होने से पूरी तरह से इंकार किया है।

मैं संविधान के अनुच्छेद 20 के साथ साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 का उल्लेख करना चाहता हूं। साक्ष्य के सारांश से पहले आरोपी/याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया बयान नष्ट कर दिया गया और बाद में एक और बयान दर्ज किया गया है।

जनरल कोर्ट मार्शल ने इस कथन पर विचार किया और स्वयं निम्नलिखित तरीके से निष्कर्ष निकाला: -

''न्यायालय ने बचाव के तर्क को बरकरार रखने और उपरोक्त दस्तावेज़ को साक्ष्य में स्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया।''

ऐसा प्रतीत होता है कि जनरल कोर्ट मार्शल को बयान में मौजूद कमियों के बारे में पर्याप्त जानकारी थी और इन कमियों के कारण ही इस संस्वीकृति कथन पर कार्रवाई नहीं की गई। यह कहना पर्याप्त है कि याचिकाकर्ता/आरोपी को उस आरोप से संयोजित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है जिसके तहत उस पर आरोप लगाया गया है।

उपरोक्त तर्क के आधार पर, मैंने पाया कि कार्यवाही सेना अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत है और कोर्ट मार्शल का निष्कर्ष विधि अनुरूप नहीं था। इसलिए, इसे अपास्त किया जाता है और याचिकाकर्ता को आदेश पारित होने की तारीख पर उसके पूर्ववर्ती पद पर वापस भेज लिया जाता है। वह नियमों के तहत सभी लाभों का हकदार होगा।"

5. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के उक्त आदेश से व्यथित होकर, भारत संघ और सेना के संबंधित अधिकारियों ने लेटर्स पेटेंट अपील (एसडब्ल्यू) संख्या 284/94 प्रस्तुत की। दिनांक 5 फरवरी, 2002 के आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपील की स्वीकार की और एसडब्ल्यूपी संख्या 14-ए/1994 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर दिया। इसलिए, अपीलकर्ता ने यह अपील प्रस्तुत की है।

6. विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय के समर्थन में अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री डी.के. गर्ग ने तर्क दिया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने मुख्य रूप से इस आधार पर जीसीएम को अपास्त कर दिया है कि जीसीएम को अधिनियम की धारा 109 के बाध्यकारी प्रावधान के उल्लंघन में आहूत की गयी थी। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, जीसीएम धारा 109 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आहूत नहीं की गई थी। यह निवेदन किया गया कि अधिनियम की धारा 63 के तहत अपराध के लिए अपीलकर्ता के अपराध को साबित करने के लिए उत्तरदाताओं द्वारा जीसीएम के अभिलेख पर कोई प्रत्यक्ष सबूत पेश नहीं किया गया था और जीसीएम द्वारा किसी भी सबूत के अभाव में, अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दण्डादेश अवैध, अस्थिर और प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन था और ऐसी परिस्थितियों में जीसीएम के आदेश को अपास्त करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय में खण्ड पीठ द्वारा लेटर्स

पेटेंट अपील में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार यह निवेदन किया कि उच्च न्यायालय की खण्डपीठ का विवादित आदेश अपास्त किया जाकर विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि की जाये।

7. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री पराग पी. त्रिपाठी ने उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया और निवेदन किया कि उच्च न्यायालय लेटर्स पेटेंट अपील स्वीकार करने और आदेश देने में सही था। उन्होंने निवेदन किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर अधिनियम की धारा 63 के अन्तर्गत अच्छी व्यवस्था और अनुशासन के अतिक्रमण के लिए अधिनियम की मंशा और नियमों के तहत कोर्ट- मार्शल और उसके बाद अपीलकर्ता के खिलाफ दर्ज दोषसिद्धि और सजा के आदेश जिसकी बाद में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की गई थी, को अपास्त किया है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए आमतौर पर खण्ड पीठ के आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

8. विद्वान अधिवक्ता को सुनने और अभिलेख पर मौजूद सामग्री और सेना अधिनियम और नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अध्ययन के बाद, हमारी राय में, उच्च न्यायालय की खण्डपीठ को विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को अपास्त करना उचित था, जो कि जीसीएम के

सुविचारित आदेश को अपास्त करना उचित नहीं है, जो की तात्विक गवाहों की साक्ष्य का उचित और निष्पक्ष विश्लेष्ण, उसके समक्ष अपीलकर्ता द्वारा स्वेच्छा से दिए गए बयान, अन्य सामग्री और पुष्टि करने वाले प्राधिकारी के पश्चातवर्ती आदेश पर आधारित था।

9. अपीलकर्ता का तर्क कि इस मामले में जीसीएम आहूत करना वैध नहीं है क्योंकि अधिनियम की धारा 109 के तहत, जीसीएम केवल किसी एेसे अधिकारी द्वारा आहूत की जा सकती है, जिसे सेना प्रमुख द्वारा उस संबंध में एक विशिष्ट वारंट द्वारा नियुक्त किया गया हो, अस्वीकार किया जाता है। सेना अधिनियम की धारा 109 के तहत, एक जीसीएम केंद्र सरकार या सेना प्रमुख द्वारा या सेना प्रमुख के वारंट द्वारा इस संबंध में सशक्त किसी भी अधिकारी द्वारा आहूत की जा सकती है। धारा 109 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके लिए सेना प्रमुख को प्रत्येक विशिष्ट मामले के लिए वारंट जारी करने की आवश्यकता हो। अधिनियम के तहत जीसीएम आहूत करने के लिए एक सामान्य वारंट सेना प्रमुख द्वारा धारा 109 के तहत जारी किया गया है, जिसके तहत सेना प्रमुख द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ए-1 वारंट द्वारा प्राधिकृत किया जाकर 16 कोर के कमांडिंग सभी अधिकारियों को जो फील्ड ऑफिसर के रैंक से नीचे के नहीं हो, को उनकी कमान के किसी भी व्यक्ति का सैन्य कानून के अधीन विचारण के लिए जीसीएम आहूत करने के लिए सशक्त किया गया है। उसे उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था जिसपर खण्ड पीठ ने विचार किया

और उसका सारांश निर्णय में वर्णित किया गया है। प्राधिकृत वारंट इस प्रकार है:-

''सेना अधिनियम के तहत जनरल कोर्ट मार्शल आहूत करने का वारंट।

प्रेषित,

16 कोर की कमान संभालने वाला अधिकारी, जो फील्ड अधिकारी की रैंक से नीचे नहीं है। सेना अधिनियम, 1950 (1950 का XLVI) के प्रावधानों के अनुसरण में मैं आपको, या उस अधिकारी को, जो फील्ड ऑफिसर के रैंक के नीचे का नहीं है जिसे आपकी अनुपस्थिति के दौरान आपकी कमान सौंपी जा सकती है, समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार, आपकी कमान के व्यक्ति के लिए जो उक्त अधिनियम में उल्लिखित किसी भी अपराध का आरोपित है और जनरल कोर्ट- मार्शल द्वारा विचारण के लिए उत्तरदायी है। उसके विचारण हेतु अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसरण में जनरल कोर्ट-मार्शल आहूत का अधिकार देता हूं।

और ऐसा करने के लिए, यह आपके साथ-साथ उन सभी के लिए, जिनसे ये संबंधित है, पर्याप्त वारंट होगा।

जून 1972 के चौबीसवें दिन नई दिल्ली में मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

एसडी/-

जनरल

सेना प्रमुख''

10. वर्तमान मामले में, आईसी-5095 पी मेजर जनरल के. महिपत सिंहजी, कार्यवाहक जनरल ऑफिसर कमांडिंग 16 कोर द्वारा अधिनियम के तहत जीसीएम आहूत करने का उपर्युक्त आदेश दिनांक 15 दिसंबर, 1981 स्पष्ट रूप से साबित करता है कि जीसीएम सेना अधिनियम की धारा 109 के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आहूत की गई है। जीसीएम के सदस्यों का चयन और नियुक्ति अधिनियम की धारा 113 के अनुपालन में की गई थी। इस प्रकार, उत्तरदाताओं ने विधिक आवश्यकताआेंं का पूर्ण रुप से पालन किया है।

11. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा हमारे सामने पेश किए गए कोर्ट-मार्शल के अभिलेख से प्रकट होता है कि उधमपुर में अलग-अलग तारीखों पर अपीलकर्ता के खिलाफ जीसीएम आहूत की गयी थी। अभिलेख से ये प्रकट है कि अपीलकर्ता ने जीसीएम के समक्ष आरोप पत्र में उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को स्वीकार करते हुए स्वेच्छा से लिखित में संस्वीकृति कथन किया था। जीसीएम का अवलोकन करने पर, यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि कार्यवाही जीसीएम द्वारा अपीलकर्ता, उसके बचाव अधिकारी और अन्य गवाहों की उपस्थिति में अभिलिखित की गई थी। आरोप के समर्थन में अभियोजन पक्ष की ओर से मेजर एसके सरीन, श्रीमती विद्या देवी, वीना कुमारी, तारा चंद, रतन सिंह, प्रभु राम, मेजर एस.बी. अंबेल, प्रीतम सिंह, कैप्टन ए.के. चौधरी, मेजर अमीन चंद भट्टी

के बयान अपीलकर्ता की उपस्थिति में जीसीएम द्वारा लेखबद्ध किये गए। अपीलकर्ता को गवाहों से जिरह करने का पूरा अवसर दिया गया लेकिन उसने उक्त अवसर का उपयोग नहीं किया। अभिलेख से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता को इस आशय की चेतावनी देने के बावजूद कि वह कोई संस्वीकृति कथन करने के लिए बाध्य नहीं है, अपीलकर्ता ने 22 अक्टूबर, 1980 को लिखित में संस्वीकृति कथन दिया। 10 सितंबर, 1981 को स्वतंत्र गवाह आईसी-25616 वाई मेजर एस.एल. गौतम, साक्ष्य का सारांश लेखबद्ध करने वाले अधिकारी मेजर अमीन चंद की उपस्थिति में अपीलकर्ता ने पहले साक्ष्य सारांश के अलावा अतिरिक्त बयान दिया। अभिलेख से ऐसा प्रतीत होता है कि 10 सितंबर, 1981 को दर्ज साक्ष्य का दूसरा अतिरिक्त साक्ष्य का सारांश सेना नियम 23(1), 23(2), 23(3), 23(4) और 23(6) के अनुपालन में था जिसमें अपीलकर्ता ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।

12. अधिनियम का अध्याय XII पुष्टिकरण और संशोधन से संबंधित है। धारा 153 में प्रावधान है कि किसी जनरल, डिस्ट्रिक्ट या समरी जनरल, कोर्ट-मार्शल का कोई भी निष्कर्ष या दण्डादेश तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार पुष्ट ना कर दिया गया हो। धारा 154 निर्धारित करती है कि सामान्य कोर्ट-मार्शल के निष्कर्षों और दण्डादेश की पुष्टि केंद्र सरकार द्वारा, या केंद्र सरकार के वारंट द्वारा इस संबंध में सशक्त किसी अधिकारी द्वारा की जा सकती है। हमारे समक्ष

प्रस्तुत उत्तरदाताओं का अभिलेख यह प्रकट करता है कि जीसीएम द्वारा अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और दण्डादेश के निष्कर्षों की पुष्टि अधिनियम की धारा 154 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई थी। हम पाते हैं कि जीसीएम की कार्यवाही विशुद्ध थी जहां विचारण निष्पक्ष था और अपीलकर्ता को अपने मामले का बचाव करने के लिए हर संभव अवसर दिया गया था। कोर्ट-मार्शल के अभिलेख की जांच करने के बाद, हम पाते हैं कि उनके संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में स्वयं को पूरी तरह से गलत दिशा में निर्देशित किया कि जीसीएम द्वारा की गई कार्यवाही सेना अधिनियम के प्रावधानों और निष्कर्ष के साथ असंगत थी और कोर्ट-मार्शल विधि अनुरूप नहीं था। अपीलार्थी को अभिलेख के निरीक्षण करने का अवसर दिया गया, उसकी उपस्थिति में उसकी पत्नी और अन्य गवाहों से पूछताछ की गई और उसने बिना कोई आपत्ति उठाए कोर्ट-मार्शल कार्यवाही में भाग लिया। जीसीएम ने तात्विक गवाहों की सुसंगत मौखिक साक्ष्य और अपीलकर्ता द्वारा स्वेच्छा से दिए गए बयान और मेजर एसएल गौतम और मेजर अमीन चंद की उपस्थिति में उसके द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अतिरिक्त सारांश संस्वीकृति कथन जिसपर उसके हस्ताक्षर है और अन्य प्रस्तुत सामग्री पर विचार किया, अपीलकर्ता को आरोप का दोषी पाया गया और दोषी ठहराया गया और तदनुसार सजा सुनाई गई।

13. अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 164 के तहत जीसीएम के आदेश के खिलाफ पुष्टिकरण याचिका दायर की, जिसकी एक प्रति

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने हमें दिखाई है। हमें विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त याचिका को सक्षम प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया है और अपीलकर्ता के खिलाफ दर्ज जीसीएम के निष्कर्षों और दण्डादेश की पुष्टि की गई थी और तदनुसार, अपीलकर्ता को प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में सूचित किया गया था। निर्विवाद रूप से, अपीलकर्ता ने न तो रिट याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष विधिनुसार पारित सक्षम प्राधिकारी के उक्त आदेश को चुनौती दी है और न ही लेटर्स पेटेंट अपील की सुनवाई और निर्णय के समय अपीलकर्ता द्वारा उस आदेश को खण्ड पीठ की जानकारी में लाया गया था।

14. विद्वान एकल न्यायाधीश के उपरोक्त आदेश से हमें यह प्रकट हुआ है कि उसमें वर्णित निष्कर्ष और तर्क मामले के तथ्यों के उचित मूल्यांकन पर आधारित नहीं हैं और अपील में सुनवाई करते समय विद्वान एकल न्यायाधीश के लिए अभिलेख की सूक्ष्मता से जांच करना आवश्यक नहीं था। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में उच्च न्यायालय जीसीएम द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्षों पर अपील न्यायालय के रूप में सुनवाई नहीं कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा निर्णय के विरुद्ध निर्देशित नहीं है बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया तक ही सीमित है। न्यायिक समीक्षा कोई अपील नहीं है बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया की समीक्षा है। न्यायालय केवल निर्णय लेने की

प्रक्रिया की शुद्धता पर निर्णय देती है, न कि निर्णय की शुद्धता पर। इस प्रकार अपीलार्थी के मामले की सभी दृष्टिकोणों से परीक्षण करने के बाद हम संतुष्ट है कि जीसीएम में कोई अनियमितता या अवैधता नहीं थी, जिसे सेना पदानुक्रम में बहुत उच्च रैंक रखने वाले अधिकांश योग्य सदस्यों द्वारा निष्पक्ष और उचित तरीके से संचालित किया गया था।

15. उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आक्षेपित निर्णय में विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को अपास्त करते हुए भारत संघ एवं अन्य बनाम आईसी 14827 मेजर ए. हुसैन [एआईआर 1998 एससी 577] के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है और पाया कि उच्च न्यायालय प्राधिकारियों द्वारा लेखबद्ध किए गए कथनों का पुर्नविश्लेषण नहीं कर सकता एवं सक्षम प्राधिकारियों के निष्कर्ष के स्थान पर अपने स्वयं के निष्कर्ष को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है।

16. यद्यपि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को अपास्त करने के लिए अपने निर्णय में विस्तृत कारण नहीं दिये है, फिर भी संक्षेप में हमारी राय है कि गुणावगुण के आधार पर उक्त निर्णय में कोई हस्तक्षेप वांछित नहीं है।अपीलार्थी के द्वारा दर्शायी गयी कोई अवैधता, अशुद्धता या क्षेत्राधिकार की त्रुटि होना नहीं पाया गया।

17. हमारे विचार में, अपीलार्थी द्वारा उठाए गए तर्कों में कोई बल नहीं है।

18. ऊपर वर्णित कारणों से, इस अपील में कोई बल नहीं है और इसलिए इसे खारिज किया जाता है। खर्चे के रूप में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

के.के.टी.

अपील ख़ारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से न्यायिक अधिकारी श्री अरविन्द कुमार जांगिड (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

<u>अस्वीकरण</u>- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****